न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 78 / 2024

अनवान : –

1. पेमाराम पुत्र हजारी राम जाति बावरी निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री मांगीलाल देहडू अधिवक्ता **प्राार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय **दिनांकः** 15/1/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 307 की कुल 1.7700 हैक्ट भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का नाम पेमा पुत्र हजारी दर्ज है जो की सहवन से गलत दर्ज हुआ है प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम पेमाराम पुत्र हजारीराम है जो की प्रार्थी के समस्त दस्तोवेजात यथा आधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी के खातेदारी हको का हनन हो रहा है इसलिए प्रार्थी मुताबिक दस्तावेजात अपना नाम पेमा पुत्र हजारी के स्थान पर पेमाराम पुत्र हजारीराम राम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि प्रार्थी का मुताबिक दस्तावेज नाम दुरूस्त करे देवे जिससे प्रार्थी का कोई हिस्सा कम अथवा ज्यादा नही होना केवल नाम ही सशोधित होना है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का नाम पेमा पुत्र हजारी दर्ज है जो की सहवन से गलत दर्ज हुआ है प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम पेमाराम पुत्र हजारीराम है जो की प्रार्थी के समस्त दस्तोवेजात यथा आधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी के खातेदारी हको का हनन हो रहा है इसलिए प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:31:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मुताबिक दस्तावेजात अपना नाम पेमा पुत्र हजारी के स्थान पर पेमाराम पुत्र हजारीराम राम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 307 की कुल 1.7700 हैक्ट भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में प्रार्थी अपना नाम पेमा पुत्र हजारी के स्थान पर पेमाराम पुत्र हजारीराम दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम पेमाराम पुत्र हजारीराम दर्ज है तथा प्रार्थी के नाम के संबंध में सरपंच ग्राम पंचायत सोनड़ी द्वारा भी तस्दीक पेश की गई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं सरपंच ग्राम पंचायत की तस्दीक के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 307 की कुल 1.7700 हैक्ट भूमि में प्रार्थी का नाम **पेमा पुत्र हजारी के स्थान पर पेमाराम पुत्र हजारीराम का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच प्रार्थी के प्रार्थी के नाम पेमा पुत्र हजारी के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का प्रार्थी के प्रार्थी के नाम पेमा पुत्र हजारी के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम पेमा पुत्र हजारी ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 15/01/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:31:51 IST
Reason: SelfAttested